न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 105/2018

1. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री दूदा जी जाति जाट निवासीनी ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

————प्रार्थीया

ब ना म

1. घीसू पुत्र श्री काना जी गुर्जर
2. पन्ना पुत्र श्री हरदेव जी जाट
3. रामचन्द्र पुत्र श्री जेठू जी खाती

समस्त निवासीगण ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

4.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, बिजयनगर तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 25.11.2020

अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 806 रकबा 0.2590 है0, 804 रकबा 0.9146 है0,भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 806 रकबा 0.2590 है0, 804 रकबा 0.9146 है0,भूमियां प्रार्थीया के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

................लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

श्रीमती नर्बदा देवी बनाम घीसू व अन्य
प्रकरण संख्या 105/2018

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीया पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 806 रकबा 0.2590 है0, 804 रकबा 0.9146 है0, भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 15:56:18 IST
Reason: SelfAttested